AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM) : (a) and (b) There was some increase in the activities of some fundamentalist and subversive elements in May in Kashmir Valley. June was, however, comparatively free from trouble and tension.

(c) There was some decline in the number of domestic tourists in the Valley in May but June was almost normal.

(d) The situation in the valley is kept under constant watch. State Government is taking preventive and other appropriate measures to tackle the situation. Assistance whenever asked for is also provided.

336. *Transferred to the 31st July, 1989.*

Evasion of excise duty by cigarette manufacturers

337. SHRI VITHALBHAI M. PATEL : Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that evasion of excise duty to the tune of crores of rupees by the cigarette manufacturers in the country have been detected from 1982 to 1987;

(b) if so, what is the amount of evasion of excise duty during the above period;

(c) what steps Government have taken to recover the excise duty from the cigarette manufacturers; and

(d) whether any evasion of excise duty has taken place during 1988-89; if so, what are the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF REVENUE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI AJIT PANJA) : (a) Yes, Sir.

(b) The amount of Central Excise duties allegedly evaded by cigarette manufacturers during the above period as per show cause notices issued, is approximately Rs. 2100 crores.

(c) Out of the above cases only two show cause notices have so far been adjudicated. Recoveries in these two cases have been stayed by the Tribunal/Court subject to deposit of Rs. 20 lakhs in one case. The question of recovery of excise duty in other cases will arise only after the same are adjudicated.

(d) During the calendar years 1988 and 1989, the amount of Central Excise duties allegedly evaded by the cigarette manufacturers is approximately Rs. 122 crores as per show cause notices issued.

निर्यात की जाने वाली मदों का उत्पादन बढ़ाने के लिये उपाय

338. **श्री शरद यादव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन मदों का निर्यात किया गया और उनका वर्षवार निर्यात मूल्य कितना-कितना था ;

(ख) निर्यात की जाने वाली मदों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था में सरकार द्वारा किए गए सुधारों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान निर्यात के मामले में प्रशासनिक कमियों के संबंध में प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या कितनी है ;

(घ) क्या इस प्रकार की शिकायतों के आधार पर किन्हीं अधिकारियों को दोषी पाया गया ; और

(ङ) यदि हाँ, तो उनमें से प्रत्येक के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० आर० दासमुंशी) : (क) एक विवरण-पत्र संलग्न है। [देखिये परिशिष्ट 151, अनुबंध सं० 16]

(ख) निर्यात की जा रही मदों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था में किए गए सुधारों में शामिल हैं, एम० आर० टी० पी० अधिनियम, के अंतर्गत बड़े घराने की परिभाषा के लिए परिसम्पत्तियों की सीमा बढ़ाना, विभिन्न उद्योगों के लाइसेंस हटाना, व्यापक बनाना आदि ।

(ग) से (ङ) निर्यात के मामले में प्रशासनिक कमियों के संबंध में अधिकारियों द्वारा कथित गतिरोध/बाधा पैदा करने के संबंध में कोई विशिष्ट शिकायत ध्यान में नहीं लाई गई है ।

निर्यात बढ़ाने के मामले में लघु उद्योग क्षेत्र का योगदान

339. **श्री शरद यादव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान लघु उद्योग क्षेत्र का योगदान कुल निर्यात प्रतिशत का कितने प्रतिशत रहा है ;

(ख) सरकार द्वारा निर्यात बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र को दिए गए प्रोत्साहनों और अन्य सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ग) उन मदों के नाम क्या हैं जिन पर सरकार अनुदान देती है और प्रत्येक मद पर कितना-कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाता है ; और

(घ) सरकार इस क्षेत्र द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या-क्या नए कदम उठा रही है और अब तक इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० आर० दासमुंशी) : (क) कुल निर्यात में लघु उद्योग क्षेत्र का प्रतिशत के रूप में योगदान केवल 1982-83 से 1986-87 की अवधि के लिए उपलब्ध है । इसका ब्यौरा निम्नलिखित है :—

वर्ष	कुल निर्यातकों लघु उद्योग का प्रतिशत हिस्सा
1982-83	22.96
1983-84	21.92
1984-85	21.74
1985-86	25.42
1986-87	29.03

स्रोत :—विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय ।

(ख) निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रोत्साहन निर्यात मदों से संबंधित है और लघु तथा बड़े उद्योग क्षेत्रों में कोई भेद नहीं किया जाता है । फिर भी निर्यात घरानों/व्यापार घरानों की पात्रता निश्चित करने के लिए लघु तथा कुटीर उद्योग क्षेत्र के उद्योगों द्वारा उत्पादित माल के निर्यात से प्राप्त निवल विदेशी मुद्रा अर्जन को वास्तविक निवल विदेशी मुद्रा आय से दोगुना मान लिया जाता है ।

(ग) और (घ) विदेशों में बिक्री दल प्रतिनिधि मंडल भेजकर निर्यात संवर्धन के लिए सहायता अनुदान "बाजार विकास सहायता निधि" से दिया जाता है । ऐसा सहायता अनुदान प्रदान करते समय लघु क्षेत्र को अपेक्षाकृत अधिक अनुदान अर्थात् 60% सहायता दी जाती है । विदेशों में बिक्री दल/बिक्री सह अध्ययन दल और प्रतिनिधिमंडल भेजने में लघु क्षेत्र से अपेक्षाकृत अधिक प्रतिनिधि शामिल करने के संबंध में अनुदेश जारी किए गए हैं । उपलब्ध सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हाल के वर्षों में लघु क्षेत्र से निर्यात में काफी वृद्धि हुई है ।